



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230096
CG-DL-E-01102021-230096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3708]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/ आश्विन 8, 1943

No. 3708]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

का.आ. 4042(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2651(अ), तारीख 7 अगस्त, 2020 तथा का० आ० 115(अ), तारीख 11 जनवरी, 2021 जो भारत के राजपत्र संख्या 2351 तारीख 7 अगस्त, 2020 तथा राजपत्र संख्या 95 तारीख 12 जनवरी 2021 में क्रमशः प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “पारादीप-हल्द्वीया- दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संवर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार “ पारियोजना हेतु जिला लखीसराय में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 15 जनवरी, 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकार, बरौनी, बिहार (श्री भुवनेश्वर मिश्रा) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनीर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी |

अनुसूची					
जिला - लखीसराय			राज्य : बिहार		
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़हिया	डुमरी -161	5235	00	12	49
		5165	00	06	85
		5164	00	02	48
		5163	00	06	33
		5173	00	02	34
		5174	00	01	16
		4860	00	01	69
		4859	00	01	67
		4858	00	02	20
		4857	00	02	04
		4850	00	01	11
		4848	00	04	69
		4847	00	04	72
		4849	00	05	37
		4845	00	00	20

		4846	00	04	64
		4844	00	03	05
		4843	00	08	54
		4912	00	00	20
		4913	00	00	20
		4914	00	00	45
		4916	00	00	20
बड़हिया	हुमरी -161	4842	00	00	79
		4836	00	07	90
		4807	00	01	55
		4835	00	11	67
		4833	00	00	65
		4830	00	04	59
		4812	00	09	68
		4813	00	03	54
		4815	00	05	74
		4818	00	05	04
		4819	00	00	24
		4829	00	02	82
		4820	00	02	52
		4826	00	00	58
		4821	00	04	58
		4822	00	04	00
		4823	00	03	08
		4777	00	03	99
		4335	00	00	37

[फा. सं. आर.-11025(11)/235/2017-ओआर-आई/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2021

S.O. 4042(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 2651(E) Dated 7th August, 2020 and S.O. No. 115(E) dated 11th January, 2021 published in the Gazette of the India Gazette No-2351 dated 7th August 2020 and Gazette No. 95 dated 12th January 2021 respectively issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for “**Augmentation of Paradip - Haldia - Durgapur LPG Pipeline and its Extension Up to Patna and**

Muzaffarpur” for the transportation of LPG products in Lakhisarai District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 15th January 2021

And whereas the **Competent Authority, Barauni, Bihar (Shri Bhuvneshwar Mishra)** has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest from the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
District : Lakhisarai			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barahiya	Dumari-161	5235	00	12	49
		5165	00	06	85
		5164	00	02	48
		5163	00	06	33
		5173	00	02	34
		5174	00	01	16
		4860	00	01	69
		4859	00	01	67
		4858	00	02	20
		4857	00	02	04
		4850	00	01	11
		4848	00	04	69
		4847	00	04	72
		4849	00	05	37
		4845	00	00	20
		4846	00	04	64
		4844	00	03	05
		4843	00	08	54
		4912	00	00	20
		4913	00	00	20

		4914	00	00	45
		4916	00	00	20
		4842	00	00	79
Barahiya	Dumari-161	4836	00	07	90
		4807	00	01	55
		4835	00	11	67
		4833	00	00	65
		4830	00	04	59
		4812	00	09	68
		4813	00	03	54
		4815	00	05	74
		4818	00	05	04
		4819	00	00	24
		4829	00	02	82
		4820	00	02	52
		4826	00	00	58
		4821	00	04	58
		4822	00	04	00
		4823	00	03	08
		4777	00	03	99
		4335	00	00	37

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-I/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.